



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273482  
CG-DL-E-16062026-273482

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2972]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 2972]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

**का.आ. 3093(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1048(E) तारीख 27/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में NHNE 4C के कि.मी. 31.94 से कि.मी.70 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोडाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11.03.2026 को "राजस्थान पत्रिका" और "समाचार जगत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में NHNE 4C के कि.मी. 31.94 से कि.मी. 70 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जयपुर		
सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बस्सी				
गांव का नाम: पडासौली				
409/290	सरकारी	बीड़	8.3449	सीड्स फार्म सरकारी पडासौली हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,
411/290	सरकारी	बीड़	18.0045	सीड्स फार्म सरकारी पडासौली हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,
<b>Total</b>			<b>26.3494</b>	

[फा. सं. NHA/53012/21/PIU/DAU/Dausa-Jaipur/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

**S.O. 3093(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1048(E) Dated: 27/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NHNE 4C in the stretch of land from Km. 31.94 to Km. 70 in the district of JAIPUR in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Rajasthan Patrika**" and "**Samachar Jagat**" on dated **11.03.2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NHNE 4C in the stretch of land from Km. 31.94 to Km. 70 in the district of JAIPUR in the state of RAJASTHAN**

State: RAJASTHAN			District: JAIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Bassi</b>					
<b>Village: Parasoli</b>					
1	409/290	Government	Beed	8.3449	Seeds Farm Government Padasoli Hissa - Purn Sanstha ke Liye.

2	411/290	Government	Beed	18.0045	Seeds Farm Government Padasoli Hissa - Purn Sanstha ke Liye.
<b>Total</b>				<b>26.3494</b>	

[F. No. NHAI/53012/21/PIU/DAU/Dausa-Jaipur/LA/3D ]

SHAIKH AMINKHAN, Director